न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/01/2022

भगवानसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाटव निवासी जाटौली रथभान तहसील व जिला भरतपुर .....प्रार्थी0

बनाम

1—हरीसिंह पुत्र गिलहरी जाति जाटव । निवासीयान जाटौली रथभान तहसील
2—लक्ष्मी पत्नि हरीसिंह जाति जाटव । व जिला भरतपुर
3—आवंटन सलाहाकार समिति भरतपुर जरिये तहसीलदार भरतपुर
.....अप्रार्थी0

प्रार्थना— पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू —आंबटन नियम 1970), आंबटन कमेटी आदेश दिनांक 22.6.2002

उपस्थित :—
1—श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक प्रार्थी0,
2—श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी0 ,

निर्णय

दिनांक 12.9.2025

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आंबटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है — आवंटन सलाहकार समिति आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 की क्रम संख्या 6 को किया गया आवंटन कानून मौका व रिकार्ड के खिलाफ है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटन करने से पूर्व आवंटन सलाहाकार समिति का कौरम नियम 13 के मुताविक पूर्ण नहीं था क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति में कोरम पूरा नहीं था और अपूर्ण कोरम में किया गया आवंटन शून्य था। आवंटन नियमों के खिलाफ होने से निरस्त किया जावे। वक्त आवंटन विवादित आराजी पर ऐलोटी का कब्जा नहीं था, और आज तक आंवटित आराजी पर कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के आवंटन शून्य रहता है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2008 को भूमि पर प्रार्थी का कब्जा मानते हुये दावा डिग्री किया है। यह प्रार्थना पत्र बाबत आंवटन निरस्त कराये जाने,

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जानकारी में आते ही बिना किसी देरी के पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया है। प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक/ न्याय/2025/677 दिनांक 16.06.2025 से आवंटन की सत्यापित फोटो प्रतियॉ प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आंवटन सलाहाकार समिति ने दिनांक 22.6.2002 को अप्रार्थी लक्ष्मी पत्नि हरीसिंह एवं हरीसिंह पुत्र गिलहरी जातियान जाटव को किया गया आंवटन नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटन दिनांक को आवंटन सलाहाकार समिति का कोरम पूरा नहीं था उन्होने आवंटन नियम 13 में दिये गये प्रावधानों अनुसार एमएलए, प्रधान, सरंपच, बी.डी.ओ., तहसीलदार का उपस्थित होना अनिवार्य बताया। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी गांव से चिपटवॉ होने से ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना आज है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है जिसमें प्रार्थी की पाटौर बनी हुई है, तथा घूडे विटोरा आदि पडे हुये हैं। अप्रार्थी0 ने आवंटन की शर्त पूरी नहीं की है। अप्रार्थी ने 2020 में पीछे से कब्जा कर लिया है । विवादित आराजी के बाबत सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2008 में भूमि पर प्रार्थी का कब्जा मानते हुये दावा डिग्री किया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र 14(4) बिना किसी देरी के पेश किया गया है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। देरी को माफ करते हुये प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 अप्रार्थी0 निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 का कथन है कि प्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 804 मि. रकवा 0.13 ग्रांम कारोठ तहसील भरतपुर का आवंटन विधिवत दिनांक 22.6.2002 को किया गया है। आंवटन कमेटी का कोरम पूरा था। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 20 साल बाद पेश किया गया है। जो म्याद बाहर होने

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

से खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि नियमों के प्रावधान अनुसार आवंटन के तीन साल बाद अप्रार्थी आंवटी खातेदार हो जाता है। अप्रार्थी के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2008 की इजराय प्रार्थना पत्र प्रार्थी का माननीय सिविल न्यायाधीश संख्या' 2 भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 31.7.2023 से निरस्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 31.7.2023 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि अब आदेश दिनांक 17.10.2008 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 539 एवं आर.आर.डी. 1973 पेज 566 उद्धरत करते हुये प्रार्थी प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उद्धरत रुलिंग का अध्ययन किया गया।

प्रथमतः प्रार्थना पत्र की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, प्रार्थना पत्र की मैरिट पर विचार किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटन सलाहकार समिति ने अन्य

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

व्यक्तियों (आवंटियों) के साथ अप्रार्थी को भी आराजी खसरा नम्बर 804 मिन रकबा 0.13 ग्रांम कारोठ तहसील भरतपुर का आंवटन दिनांक 22.6.2002 को किया गया है।

प्रकरण में मुख्य रुप से निम्न बिन्दू तय किये जाने हैं :–

1–क्या आवंटन सलाहकार समिति में कोरम पूरा नहीं था ?
2–क्या आवंटन सलाहकार समिति में विधान सभा सदस्य और प्रधान, पंचायत समिति का उपस्थित होना अनिवार्य है ?
3–क्या वक्त आंवटन आराजी खसर नम्बर 804/0.13 पर प्रार्थी का कब्जा था ?
4–क्या अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.10.2008 की परिप्रेक्ष्य में आवंटन निरस्त योग्य रहता है ?

बिन्दु सं0 1 व 2 – प्रथमतः हमने Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 में दिये गये प्रावधानों पर गौर किया।

Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 के नियम 13 में उल्लेख है–

Allottment to be in consultation with Advisory Committee (i) All allotment shall be made by the sub-Divisional officer in counsultation with an Advisory Committee consisting of –

(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated.
(ii) the pradhan of the panchayat samiti having jurisdiction.
(iii) the sarpanch of the panchayat having jurisdiction.
(v) the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction.
(vi) a person belonging to scheduled caste or scheduled tribe to be nominated by the panchayat samiti from amogst its members.
(vii) a pertson to be nominated by the state Govt. in areas in which such nomination is considered necessary in public interest.

इसी प्रकार उक्त आवंटन सलाहाकार समिति में से कॉरम पूरा करने के लिये सदस्य की उपस्थिति अनिवार्यता के लिये निम्न प्रावधान में स्पष्ट किया गया है:–

Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 नियम 13 (3A) में उल्लेख है :– The Quorum for constitution the meeting of Advisory Committee shall be Three members of quorum the quorum for the adjourned meeting shall be (two members] of whom one shall be from clause (i) or (ii) of sub-rule (i)

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.6.2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन सलाहकार समिति में निम्न सदस्य 1–सरंपच ग्रांम पंचायत जाटोली स्थभान 2–तहसीलदार भरतपुर 3– सदस्य पंचायत समिति सेवर एवं 4– सहर्वत सदस्य पंचायत समिति सेवर उपस्थित हुये हैं, उक्त सभी सदस्यों के आवंटन कार्यवाही आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर किये हुये हैं। यानि वक्त आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा था।

बिन्दु सं0 3– पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 के पैरा –2 में अंकित है कि ".....राजकीय अनाधिकृत कृषि भूमि आवन्टन हेतु उपलब्ध होने पर उदघोषणा जारी की गयी है.....।" यानि वक्त आवंटन आदेश में अंकित अन्य खसरा नम्बरान के साथ विवादित आराजी खसरा 804/0.13 आवंटन योग्य उपलब्ध थी। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध में ऐसा कोई एतराज आवंटन कमेटी के समक्ष पेश नहीं किया जाना भी इस बात को स्पष्ट करता है कि वक्त आवंटन विवादित खसरा नम्बर 804/0.13 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं थी।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 द्वारा प्रस्तुत रुलिंग आर.बी.जे.(25) 2018 पेज 539 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंन्च ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :–

> Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agricultural purposes) Rules 1970, Rule 14(3)&14(4) – After conferring Khatedari rights, allotment cannot be cancelled. A presumption has to be drawn that after three years Khatedari rights shall be conferred on the allottees and thereafter there was no power vested with petitioner to cancel the allotment under Rule 14(4) of the Rules of 1970.
> Cancellationcan be on two counts. Firstly, on the ground that the allottee has not cultivated 50% of the land in the first year of allotment and in the remainging period of the second year. but such cancellation can only be made within a period of three years as provided under Rule 14(1) of the Rules of 1970 because after three year the concerned tenant would acquire Khatedari rights. The second Ground on which the Collector has cancelled the allotment is if he is satisfied that the allotment has been seured through fraud or misrepresentation. Writ petition dismissed. Pra 8 to 12 ....."

प्रार्थी द्वारा 20 साल बाद आकर आवंटन आदेश को अपने कब्जे के आधार पर चेलेन्ज किया गया है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आर.बी.जे.(18)2011 पेज 296 माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.6.2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन सलाहकार समिति में निम्न सदस्य 1–सरंपच ग्रांम पंचायत जाटोली स्थभान 2–तहसीलदार भरतपुर 3– सदस्य पंचायत समिति सेवर एवं 4– सहवत्त सदस्य पंचायत समिति सेवर उपस्थित हुये हैं, उक्त सभी सदस्यों के आवंटन कार्यवाही आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर किये हुये हैं। यानि वक्त आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा था।

बिन्दु सं0 3– पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 के पैरा –2 में अंकित है कि ".....राजकीय अनाधिकृत कृषि भूमि आवन्टन हेतु उपलब्ध होने पर उद्घोषणा जारी की गयी है.....।" यानि वक्त आवंटन आदेश में अंकित अन्य खसरा नम्बरान के साथ विवादित आराजी खसरा 804/0.13 आवंटन योग्य उपलब्ध थी। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध में ऐसा कोई एतराज आवंटन कमेटी के समक्ष पेश नहीं किया जाना भी इस बात को स्पष्ट करता है कि वक्त आवंटन विवादित खसरा नम्बर 804/0.13 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं थी।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 द्वारा प्रस्तुत रुलिंग आर.बी.जे.(25) 2018 पेज 539 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंन्च ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :–

> Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agricultural purposes) Rules 1970, Rule 14(3)&14(4) – After conferring Khatedari rights, allotment cannot be cancelled. A presumption has to be drawn that after three years Khatedari rights shall be conferred on the allottees and thereafter there was no power vested with petitioner to cancel the allotment under Rule 14(4) of the Rules of 1970.
> Cancellationcan be on two counts. Firstly, on the ground that the allottee has not cultivated 50% of the land in the first year of allotment and in the remainging period of the second year. but such cancellation can only be made within a period of three years as provided under Rule 14(1) of the Rules of 1970 because after three year the concerned tenant would acquire Khatedari rights. The second Ground on which the Collector has cancelled the allotment is if he is satisfied that the allotment has been seured through fraud or misrepresentation. Writ petition dismissed. Pra 8 to 12 ....."

प्रार्थी द्वारा 20 साल बाद आकर आवंटन आदेश को अपने कब्जे के आधार पर चेलेन्ज किया गया है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आर.बी.जे.(18)2011 पेज 296 माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 92- Trespasser cannot claim any right for allotment of land.... ।"

इस प्रकार यह कथन प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

बिन्दु सं0 4— पत्रावली में उपलब्ध माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या –2 भरतपुर के निर्णय/आदेश 17.10.2008 का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्यप्रतिलिपि माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या –2 भरतपुर के प्रार्थना पत्र इजराज उनवानी बाबू बनाम हरीसिंह में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 31.7.2023 के अवलोकन से जाहिर आया कि उक्त प्रकरण में पारित आदेश में प्रार्थी की इजराय प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दिया है। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 22.6.2002 बाबत आराजी खसरा नम्बर 804/0.13 उक्त आदेश से प्रभावित नहीं है।

अस्तु, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर